

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(चकबंदी निदेशालय)  
संचिका संख्या-12/चक0-मु0-26(क)-4/2016

अधिसूचना

एस0ओ0 324/1168 दिनांक 08.03.2016 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1168 दिनांक 26.11.70 द्वारा जोतों के समेकन हेतु अधिसूचित किए गये थे, समेकन संकियाएं बन्द की जाती है।

अनुसूची

| क्रमांक | जिला का नाम | अंचल का नाम | मौजा का नाम  | थाना नं० |
|---------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1       | कैमूर       | भभुआ        | मानपुर       | 557      |
| 2       |             |             | मानपुर       | 534      |
| 3       |             | कुदरा       | चिलबिली      | 652      |
| 4       |             |             | घनाढी        | 657      |
| 5       |             |             | सोनवर्षा     | 609      |
| 6       |             |             | मोहनपुर      | 389      |
| 7       | रोहतास      | करगहर       | अग्रसेनपुर   | 193      |
| 8       |             | नोखा        | नावाडीह      | 412      |
| 9       |             |             | करमाही       | 487      |
| 10      |             |             | चाँद सिमरहटा | 496      |
| 11      |             |             | मिश्रौलिया   | 446      |
| 12      |             |             | परसिया       | 491      |
| 13      |             | सासाराम     | भजेया        | 187      |

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के उप सचिव।

एस0ओ0 324/1168 दिनांक 08.03.2016 / एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के उप सचिव।

**Revenue & Land Reforms Department**  
**Directorate of Consolidation**  
**Notification**

**File No. 12/चक0मु0-26(क)-04/2016**

S.O. 327/चक0मु0-26(क)-04/2016 Dated 08.03.2016 In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings in notification nos. S.O. 1168 dated 26-11-70.

**Schedule**

| Serial no. | Name of District | Name of Anchal | Name Units (Villages) | Revenue Thana no. |
|------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1          | Kaimur           | 1. Bhabhua     | 1. Manpur             | 557               |
|            |                  |                | 2. Manpur             | 534               |
|            |                  | 2. Kudra       | 1. Chilbili           | 652               |
|            |                  |                | 2. Dhanarhi           | 657               |
|            |                  |                | 3. Sonversha          | 609               |
|            |                  |                | 4. Mohanpur           | 389               |
| 2          | Rohtas           | 1. Kargahar    | 1. Agrasenpur         | 193               |
|            |                  | 2. Nokha       | 1. Nawadih            | 412               |
|            |                  |                | 2. Karmahi            | 487               |
|            |                  |                | 3. Chand Simarhata    | 496               |
|            |                  |                | 4. Mishrolia          | 446               |
|            |                  |                | 5. Parasia            | 491               |
|            |                  | 3. Sasaram     | 1. Bhajeya            | 187               |

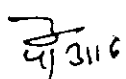
**By Order of the Governor of Bihar**

  
**Deputy Secretary of Government**

ज्ञाप संख्या 327/चक0, दिनांक 08.03.2016

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, चकबंदी लिदेशालय, भूमि विकास बैंक, चौथी मंजिल, बुद्ध मार्ग, पटना को एवं 25-25 अतिरिक्त प्रतियाँ उप निदेशक, चकबंदी (मुख्यालय) बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का कष्ट करें।

  
 सरकार के उप सचिव।